

क्र. नाविं/उ.मा./अ-१/१५७५
नाशिक - ४२२ ००९.
दिनांक :- ३१/०८/२०१९

प्रति,
प्राचार्य,

विषय : जुलै-ऑगस्ट-२०१९ मधील उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या
विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व संपादणूक अहवाल पाठविणेबाबत...

जुलै-ऑगस्ट-२०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस आपल्या कनिष्ठ
महाविद्यालयातून प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण ----- मुळ गुणपत्रिका व विद्यार्थी संपादणूकीचा
अहवाल (उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय रजिस्टर) या पत्रासोबत पाठविण्यात येत आहे.

उपरोक्त साहित्य प्राप्त होताच सदर साहित्य शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय रजिस्टरनुसार बरोबर आहे किंवा
नाही याची खात्री करून पोहोच पावती त्वरित या कार्यालयाकडे पाठवावी. सदर गुणपत्रिका संबंधित विद्यार्थ्यांना
देण्यात याव्यात. एखादा विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका आपणास प्राप्त न झाल्यास मंडळ प्रतिनिधींकडे त्याच वेळी किंवा
दुसऱ्या दिवशी फॅक्सद्वारे/हस्तपोच माहिती मंडळास कळविल्यासच दखल घेण्यात येईल. विलंबाने त्रुटी कळविल्यास
ल्याच्या विवार केला जाणार नाही.

जर गुणपत्रिकातील नोंदीत काही तफावत / चुका / त्रुटी असल्याचे निर्दर्शनास आल्यास त्याबाबत आवश्यक
कागदपत्रासह तसेच या कार्यालयास तात्काळ निर्दर्शनास आणून मुळ गुणपत्रक दुरुस्तीसाठी कार्यालयास पाठविणे
आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावातील दुरुस्ती असल्यास आपल्या उच्च माध्यमिक शाळेचे/कनिष्ठ महाविद्यालयाचे
जनरल रजिस्टर व त्याची छायाप्रत मंडळात समक्ष सादर करणे आवश्यक आहे. नाव दुरुस्तीबाबत उच्च माध्यमिक
स्वाक्षरी घेवून प्रत्येक दुरुस्तीसाठी शुल्क राष्ट्रीयकृत बँकेच्या धनाकर्षद्वारे/बँक ऑफ इंडियाच्या चलनाद्वारे सादर
करावे. नाव दुरुस्ती प्रस्तावासोबत शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय सोडल्याच्या दाखल्याची व इ. १० वी
त्रुटीर्णतेबाबतचे गुणपत्रक/प्रमाणपत्रांची छायांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांना मंडळाने गैरमार्ग प्रकरणी शिक्षा दिली आहे, त्याबाबतची नोंद मंडळाने वितरित केलेल्या
उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय रजिस्टरमध्ये आहे. तसेच गैरमार्गाबाबत स्वतंत्र अधिसूचना (डिवार्ड
यादी) मध्येही आहे. त्याप्रमाणे संबंधित विद्यार्थ्यांना आपण लेखी कळवावे. सदरहू गुणपत्रिकांचे वाटप विद्यार्थ्यांना
करण्यापूर्वी गुणपत्रिका आपल्याच उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची असल्याची व
गुणपत्रिकेवर मा. विभागीय सचिवांची स्वाक्षरी असल्याची खात्री करूनच संबंधित विद्यार्थ्यांना द्यावी. तसेच नसल्यास
ती गुणपत्रिका मंडळाकडे त्वरित परत पाठवावी किंवा मंडळ कार्यालयाशी दुरधनीद्वारे त्वरीत संपर्क साधण्यात
यावा.

(नितीन उपासनी)
विभागीय सचिव,

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, नाशिक विभागीय मंडळ,
नाशिक - ४२२ ००९.

क्र. नाविम/उ.मा./आ-१/१५७५
नाशिक - ४२२ ००९.
दिनांक :- ३१/०८/२०१९

प्रति,
प्राचार्य/मुख्याध्यापक,
(जे..)

विषय:- जुलै-ऑगस्ट -२०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस
श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या विकल्प फॉर्मबाबत..

संदर्भ:- राज्य मंडळ कार्यालयाचे क्र. रा.म./परीक्षा-८/३६५०/दि.१५/०५/२०१३ रोजीचे पत्र.

उपरोक्त विषय व संदर्भिय पत्रास अनुसरुन आपणास कलविण्यात येते की, उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा जुलै-ऑगस्ट-२०१९ परीक्षेस आपल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील गुणसुधार/श्रेणीसुधार

योजनेअंतर्गत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका मंडळाकडे उपलब्ध आहे.

गुणसुधार/श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना या योजनेखाली प्रविष्ट झालेल्या परीक्षेची गुणपत्रिका स्विकारणे अथवा नाकारणेबाबत विकल्प देण्याचा अधिकार आहे. सदर विकल्पाचा नमुना या पत्रासोबत आपणास पाठविण्यात येत आहे.

गुणसुधार/श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत उत्तीर्णतेची गुणपत्रिका स्विकारणेबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

१. सुधारित गुणपत्रिका बदलून घेणेसाठी निकाल जाहिर झाल्यानंतर एक महिन्यात त्वरित विकल्प देणे अनिवार्य राहील.
२. गुणपत्रिका वितरीत केल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापर्यंत विकल्प दिल्यास सुधारित गुणपत्रिका विनामुल्य देण्यात येईल.
३. विकल्प देण्यास विलंब झाल्यास तदनंतरच्या एक महिन्याकरिता रु.१००/- शुल्क आकारुन सुधारित गुणपत्रिका देण्यात येईल.
४. गुणपत्रिका वितरीत केल्यानंतर दोन महिन्यापासून ते सहा महिने कालावधी शुल्क रु.२००/- आकारुन सुधारित गुणपत्रिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

उपरोक्त १ ते ४ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांकडून विकल्प भरून घेण्याची व तो विकल्प मंडळाकडे पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांने वरील मुदतीत विकल्प न दिल्यास त्यांना पूर्वीची गुणपत्रिका स्विकारावयाची आहे, असे गृहित धरण्यात येवून पुढील कार्यवाही मंडळाकडून करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांस गुणसुधार/श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत जुलै-ऑगस्ट-२०१९ परीक्षेचे गुणपत्रक पाहिजे असल्यास त्याचे या पूर्वीच्या परीक्षेचे मुळ गुणपत्रक विकल्प फॉर्म सोबत आपल्या पत्रासह मंडळाकडे जमा करावे, त्यानंतरच त्यास सुधारित गुणपत्रिका देण्यात येईल तसेच विद्यार्थ्यांस या पूर्वीच्या परीक्षेची गुणपत्रिका (संपादणूक) मान्य असल्यास त्यानुसार विकल्प आपल्या पत्रासह मंडळाकडे जमा करावा.

विद्यार्थ्यांने विकल्प दिल्यानंतर त्यानुसार सदर विद्यार्थ्यांची नाकारण्यात आलेल्या या पूर्वीच्या परीक्षेची संपादणूक आपणास पाठविण्यात आलेल्या शालेय अभिलेख (S.R.) /कनिष्ठ महाविद्यालय (C.R) मध्ये रद्द करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मंडळास पाठवावा.

सोबत :- विकल्प फॉर्म नमुना

(नितीन उपासनी)
विभागीय सचिव

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, नाशिक विभागीय मंडळ,
नाशिक - ४२२ ००९.

(3)

गुणसुधार / श्रेणीसुधार योजना - विकल्प फॉर्म

मी _____ जुलै-ऑगस्ट- २०१९ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस गुणसुधार / श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत या कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत प्रविष्ट होवून उत्तीर्ण झालो आहे. माझी नविन संपादणुक खालीलप्रमाणे आहे.

बैठक क्रमांक :- एस _____

| अ.क्र. | विषयाचे नाव | संपादित केलेले गुण / श्रेणी |
|--------|-------------------------|-----------------------------|
| १ | | |
| २ | | |
| ३ | | |
| ४ | | |
| ५ | | |
| ६ | | |
| ७ | पर्यावरण शिक्षण | |
| ८ | आरोग्य व शारीरिक शिक्षण | |

एकूण गुण :- _____ टक्केवारी :- _____

मी यापूर्वी फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस या कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत प्रविष्ट होवून उत्तीर्ण झालो आहे. त्यामधील संपादणुक खालीलप्रमाणे आहे.

बैठक क्रमांक :- एस _____

| अ.क्र. | विषयाचे नाव | संपादित केलेले गुण/श्रेणी |
|--------|-------------------------|---------------------------|
| १ | | |
| २ | | |
| ३ | | |
| ४ | | |
| ५ | | |
| ६ | | |
| ७ | पर्यावरण शिक्षण | |
| ८ | आरोग्य व शारीरिक शिक्षण | |

एकूण गुण :- _____ टक्केवारी :- _____

वरील दोन्ही परीक्षांचा तुलनात्मक विचार करता भी लिहून देतो की, फेब्रुवारी-मार्च २०१९/जुलै-ऑगस्ट-२०१९ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस एकूण गुण व गुणांची टक्केवारी अधिक असल्याने त्या परीक्षेचा निकाल स्वखुशीने स्वीकारण्यास तयार आहे. तसेच फेब्रुवारी-मार्च २०१९/जुलै-ऑगस्ट-२०१९ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस एकूण गुण व गुणांची टक्केवारी कमी असल्याने त्या परीक्षेची संपादणूक रद्द करण्यास माझी संमती आहे.

विद्यार्थ्यांचे नाव :-

विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी :-

प्राचार्यांची स्वाक्षरी व शिक्का,
कनिष्ठ महा. सांकेतिक क्र.- जे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,
नाशिक विभागीय मंडळ, नाशिक - ४२२ ००९.

क्र. नाविम//उ.मा./अ-१/४२४
नाशिक - ४२२ ००९.
दिनांक : - ०३/०६/२०१९

प्रति,
प्राचार्य
सर्वभान्यताप्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय
नाशिक, धुळे जलगाव व नंदुरवार जिल्हे

विषय :- माहे फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या अंग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना अनुज्ञा सवलतीवावत...

- संदर्भ :- १. अंग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांसा सोरी/सवलतीसंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा दिनांक ०८/०८/२०१९ रोजीचा शासन निर्णय.
२. अंग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना लेखनिक मिळणसंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा दिनांक १५/०२/२०१९ रोजीचा शासन निर्णय.
३. दि. १६/१०/२०१८ रोजीचा शासन निर्णय.

नाशिक विभागीय मंडळाच्या कार्यक्रमेतील मंडळ मान्यताप्राप्त सर्व उच्च माध्यमिक साळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांना कठविष्यात येते की, मंडळामार्फत घेण्यात येण्याऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या अंग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना संदर्भात येते की, मंडळामार्फत सवलती देण्यात येतात तसेच संदर्भात शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे. संदर्भात येते की, मंडळामार्फत विद्यार्थ्यांना अशा सवलती मिळविष्यासाठी विद्यार्थ्यांची वैद्यकिय प्रमाणपत्रे सादर करणे वंदनकारक आहे. सद्या सादर विद्यार्थ्यांची वैद्यकिय प्रमाणपत्रे मुख्याध्यापक/प्राचार्य पातळीवर छानी न करताच मंडळाकडे पाठविली जातात. त्यामुळे त्या संदर्भात वारंवार पत्रव्यवहार करावा लागतो व ही प्रमाणपत्रे विलंबाने म्हणजेच मे-जून पर्यंत सादर केली जातात; परिणामी असे विद्यार्थी देय सवलतीपासून विचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अंग विद्यार्थी अनुज्ञा सवलतीपासून वंचित राह नये त्या अनुषंगाने सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

- १) उपरोक्त फेब्रुवारी-मार्च २०२० परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वैद्यकिय प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत प्रमाणित करून प्रस्तुत शैक्षणिक वर्षात दिनांक १४/०८/२०१९ पर्यंत मंडळास सादर करावीत.
- २) विद्यार्थ्याच्या वैद्यकिय प्रमाणपत्रावरील संपुर्ण नाव व जनरल रजिस्टर मधील नाव सारखेच आहे याची खात्री करावी त्यामध्ये तफावत असता कामा नये. नावात तफावत असल्यास रु.२०/- च्या स्टॅम्प पेपरवर विद्यार्थ्यांचे/पालकांचे प्रतिज्ञापत्र वैद्यकिय प्रमाणपत्रासोबत मंडळास सादर करावे किंवा जनरल रजिस्टर मधील नावप्रमाणे वैद्यकिय प्रमाणपत्र मंडळास सादर करावे. मुळ वैद्यकिय प्रमाणपत्राची व अंगत्वाची खात्री करूनच प्रस्ताव दि. १४/०८/२०१९ पर्यंत सादर करावेत. मुदतीनंतर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास रु.२००/- दंड दिनांक ३१/०९/२०२० पर्यंत आकारण्यात येईल.

- ३) वैद्यकिय प्रमाणपत्रामध्ये अंगत्वाची टक्केवारीची नोंद असणे आवश्यक आहे. वैद्यकिय प्रमाणपत्रे विहीत नमुन्यात असणे आवश्यक आहे. अंगत्वाची खात्री करण्यासाठी त्याच शैक्षणिक वर्षातील फोटो वैद्यकिय प्रमाणपत्रावर घिटकून मुख्याध्यापकांनी/प्राचार्यांनी साक्षांकित करणे अनिवार्य आहे. याची नोंद घ्यावी सादरच्या सूचना फलकावर लावून विद्यार्थ्याच्या नजरेस ठळकपणे आणाव्यात.

5

४) अपंग (दिव्यांग): विद्यार्थ्यांसे जिल्हा शब्द चिकित्सकामाफित प्राप्त झालेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रावर नमुद केलेल्या अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार खालीलप्रमाणे अपंगत्वाचा प्रकार व सांकेतांक क्रमांक सोबत दिलेल्या तक्त्यात नमुद करावा. तसेच अपंगत्वाचा प्रकार व सांकेतांक क्रमांक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरतानावेखील नमुद करावा.

| अ.क्र. | अपंगाचा (दिव्यांग) प्रकार | सांकेतांक क्रमांक (कोड नंबर) | अ.क्र. | अपंगाचा (दिव्यांग) प्रकार | सांकेतांक क्रमांक (कोड नंबर) |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---|---------------------------------|
| १ | अंशता अंध/ पूर्णता अंध | १ | १२ | मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार | १२ |
| २ | कुष्ठरोगातून बरे झालेले निवारित | २ | १३ | अध्ययन अक्षम | १३ |
| ३ | कर्णवाधिर | ३ | १४ | मतिमंद | १४ |
| ४ | अस्थिव्यंग | ४ | १५ | भर्तीपल स्वल्लोरोसिस | १५ |
| ५ | शारीरीक वाढ खुंटणे | ५ | १६ | वाचा व भाषा अक्षमत्व | १६ |
| ६ | बौद्धिक अक्षम (मतिमंद) | ६ | १७ | थँलस्सेमिया | १७ |
| ७ | बहुविकलणांग | ७ | १८ | हिमोफिलीया | १८ |
| ८ | मनसिक आजार | ८ | १९ | सिंकल सेल | १९ |
| ९ | ऑटिस्टिक (स्वमरण) | ९ | २० | ऑसिड: ऑटेक विकिटम | २० |
| १० | सेरेवल पाल्सी | १० | २१ | पार्किनसन्स | २१ |
| ११ | स्नायुंची विकृती | ११ | २२ | इतर आजारामुळे शाळेय शिक्षणात अडचणीत येणा—या विद्यार्थ्यांवाबत | २२ |

उपरोक्त पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्र सोबत दिलेल्या तक्त्यामध्ये नमुद करून मंडळ कार्यालयाकडे दरवर्षी दिनांक

१४. ऑगस्टपर्यंत पाठविण्यात याचीत, असे कळविण्यात येवून सुध्दा काही उच्च माध्यमिक शाळांनी/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी फेदवारी-मार्च २०१९ च्या परीक्षेत याप्रमाणे कार्यवाही न करता विलंबाने प्रस्ताव सादर केले होते. परिणामी त्यामुळे काही विद्यार्थी फेदवारी-मार्च २०१९ च्या परीक्षेत याप्रमाणे कार्यवाही न करता विलंबाने प्रस्तावाकाळी प्राचार्याना पुनः उच्च कळविण्यात येते की, सादलतीपासून चंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तरी यावाबत मुख्याध्याकाळा/प्राचार्याना पुनः उच्च कळविण्यात येते की, अपंग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव दरवर्षी १४ ऑगस्टपर्यंतच स्विकारले जातील. सन २०१९-२० या शेक्षणिक वर्षातील प्रस्ताव निर्धारित अपंग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव दरवर्षी १४ ऑगस्टपर्यंतच स्विकारले जाणार नाहील, याची नोंद घ्यावी. विलंबाने प्राप्त झालेले अपंग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव दिनांकानंतर प्राप्त झाल्यास प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहील, याची नोंद घ्यावी. विलंबाने प्राप्त झालेले अपंग विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव नाकारण्याच्या मंडळाच्या निर्णयामुळे संवंधित विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जवाबदारी संवंधित मुख्याध्यापक/प्राचार्य नहीन आपणावर राहील, याची नोंद घ्यावी.

(नितीन उपासनी)

विभागीय सचिव

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नाशिक. विभागीय मंडळ,
नाशिक - ४२२००९.

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुअरी / मार्च— २०२०

उच्च माध्यमिक विद्यार्थीन्ही माहिती दर्शविपारा तब्ता

| अ. क्र. | जनरल रेजिस्टर मधील अनुक्रमांक | अपांग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांचे नाव | अपांग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांचे हेतलेले विषय, कोड व माध्यम | अपांगत्वाचा (दिव्यांग) प्रकार हेतलेले विषय, कोड क्रमांक | अपांगत्वाचा (दिव्यांग) प्रकार प्रमाणपत्रात कोणतीही उटी नाही | वैद्यकिक प्रमाणपत्रात कोड | अपांग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांचा फोटो |
|---------|--|---|---|---|--|---------------------------------|--|
| १. | जनरल रेजिस्टर मधील अनुक्रमांक | विषय क्रमांक | विषय क्रमांक | माध्यम टक्केवारी | प्रकार कोड क्रमांक | वैद्यकिक प्रमाणपत्रात कोड | अपांग (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांचा फोटो |
| २. | | | | | | | |
| ३. | | | | | | | |
| ४. | | | | | | | |
| ५. | | | | | | | |
| ६. | | | | | | | |
| ७. | | | | | | | |
| ८. | | | | | | | |
| ९. | | | | | | | |
| १०. | | | | | | | |
| ११. | | | | | | | |
| १२. | | | | | | | |
| १३. | | | | | | | |
| १४. | | | | | | | |
| १५. | | | | | | | |
| १६. | | | | | | | |
| १७. | | | | | | | |
| १८. | | | | | | | |
| १९. | | | | | | | |
| २०. | | | | | | | |
| २१. | | | | | | | |
| २२. | | | | | | | |
| २३. | | | | | | | |
| २४. | | | | | | | |
| २५. | | | | | | | |
| २६. | | | | | | | |
| २७. | | | | | | | |
| २८. | | | | | | | |
| २९. | | | | | | | |
| ३०. | | | | | | | |
| ३१. | | | | | | | |
| ३२. | | | | | | | |
| ३३. | | | | | | | |
| ३४. | | | | | | | |
| ३५. | | | | | | | |
| ३६. | | | | | | | |
| ३७. | | | | | | | |
| ३८. | | | | | | | |
| ३९. | | | | | | | |
| ४०. | | | | | | | |
| ४१. | | | | | | | |
| ४२. | | | | | | | |
| ४३. | | | | | | | |
| ४४. | | | | | | | |
| ४५. | | | | | | | |
| ४६. | | | | | | | |
| ४७. | | | | | | | |
| ४८. | | | | | | | |
| ४९. | | | | | | | |
| ५०. | | | | | | | |
| ५१. | | | | | | | |
| ५२. | | | | | | | |
| ५३. | | | | | | | |
| ५४. | | | | | | | |
| ५५. | | | | | | | |
| ५६. | | | | | | | |
| ५७. | | | | | | | |
| ५८. | | | | | | | |
| ५९. | | | | | | | |
| ६०. | | | | | | | |
| ६१. | | | | | | | |
| ६२. | | | | | | | |
| ६३. | | | | | | | |
| ६४. | | | | | | | |
| ६५. | | | | | | | |
| ६६. | | | | | | | |
| ६७. | | | | | | | |
| ६८. | | | | | | | |
| ६९. | | | | | | | |
| ७०. | | | | | | | |

प्राचार्य स्वाक्षरी

क.म.विद्यालय शिवका

(६)